Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ट)

प्रेस नोट

- **जिला नागौर में पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ सहायक को 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, 18 दिसम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी नागौर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज शुक्रवार को विकास कुमार कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत कलवाणी पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर को 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नरेगा के अन्तर्गत वन विभाग की खाई खुदाई कार्य के पूर्व के दो पखवाडों के भुगतान का कमीशन व इस पखवाड़े का मास्टरोल जारी करने की एवज में आरोपी कनिष्ठ सहायक विकास कुमार द्वारा 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी नागौर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रमेश मौर्य** के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवाकर आज अपनी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी **विकास कुमार** पुत्र श्री प्रमेश्वरलाल उम्र 30 वर्ष नि0 देवरोड तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू **हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत कलवाणी पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर को 10 हजार रूपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के **अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवाण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेना व देना अपराध की श्रेणी में आता है। रिश्वत मांगने की शिकायत देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है तथा कार्यवाही के पश्चात् उनके वैध कार्य में एसीबी द्वारा मदद भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप की जाती है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहें कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।